

#### असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 347]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939

No. 347]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

# आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

## (दिल्ली प्रभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

का.आ. 400(अ).— यत: केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना-2021 / जोन-डी की क्षेत्रीय विकास योजना हेतु अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कितपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांनक 11.10.2017 के का.आ. 3283(अ) के तहत सार्वजिनक सूचना के रूप में भारत के राजपत्र,असाधारण में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा(3) द्वारा यथा अपेक्षित आपित्तयां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- 2. यत: प्रस्तावित संशोधन के संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आपत्ति/ सुझाव पर विचार कर लिया है; और
- 3. यत: केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली मुख्य योजना-2021 के लिए मुख्य योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
- 4. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मुख्य योजना 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

518 GI/2018 (1)

संशोधन: जोन-डी में आने वाले निम्नलिखित क्षेत्र का भूमि उपयोग को नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार परिवर्तित किया जाता है:

अवस्थिति	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग दि.मु.यो 2021 के अनुसार	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित	सीमाएं
जोन-डी में आने वाले न्यू मोती बाग आवासीय परिसर, नई दिल्ली में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई) भारत सरकार के लिए कौशल भवन के निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन।	0.55 हेक्टेयर (1. <b>354</b> एकड़)	'व्यावसायिक'	'सरकारी (जी 2)'	उत्तर: रेलवे लाइन दक्षिणः होटल लीला पूर्वः हरित क्षेत्र एवं अफ्रीका एवेन्यू रोड़ पश्चिमः न्यू मोती बाग आवासीय परिसर।

[फा. सं. के-13011/34/2016-डीडी-**ा**] अनिल कमार, अवर सचिव

### MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2018

- **S.O. 400 (E).**—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021/Zonal Development Plan of Zone-D regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 3283(E) dated 11.10.2017 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/ suggestions as required by sub-section(3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas, no objections/ suggestions has been received with regard to the proposed modification; and
- 3. Whereas the Central Government have after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

#### **MODIFICATION:**

The land use of the following area of land falling in Zone-D is changed as per description listed below:

Location	Area	Land use as per	Land use	Boundaries
		MPD-2021/ ZDP	Changed to	
1	2	3	4	5
Proposed building for the Ministry	0.55 ha.	'Commercial'	'Government	North: Railway Line
of Skill Development &	(1.354		(G2)'	South: Hotel Leela
Entrepreneurship (MSDE),	acres)			East: Green area & Africa
Government of India for the				Avenue Road
construction of Kaushal Bhawan				West: New Moti Bagh
at New Moti Bagh Residential				Residential Complex
Complex, New Delhi, falling in				
Planning, Zone-D				

[F.No. K-13011/34/2016-DD-I] ANIL KUMAR, Under Secy.